न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/198

1. काल्या उर्फ कालूलाल पुत्र श्री लाला ।
2. रामेश्वर पुत्र काल्या उर्फ कालूलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. शांति पुत्री काल्या उर्फ कालूलाल पत्नी प्रहलाद जाति मीणा निवासी लाडाहाली उर्फ गणेशखेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. चेतन प्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. गोपी पत्नी काल्या उर्फ कालूलाल जाति मीणा निवासनी ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र काल्या उर्फ कालूलाल ।
2. रामकुंमार पुत्र काल्या उर्फ कालूलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. कमला पुत्री काल्या उर्फ कालूलाल पत्नी रामकरण जाति मीणा निवासी पीपल्दा जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहीसलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.02.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में कुल किता 10 की रकबा 15.07 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थी कम 01 काल्या पुत्र लाला मीणा प्रार्थीगण के पिता के खाते में दर्ज है । अप्रार्थी कम 01 प्रार्थीगण के पिता 96 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही उनके पुत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 02 रामेश्वर तीनों भाईयों में पारिवारिक बंटवारा कर दिया । तीनों भाई वादग्रस्त आराजी में अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता को अपने पूर्वजों से विरासत से प्राप्त होने से उक्त सम्पूर्ण आराजी में प्रार्थीगण का 1/4 – 1/4 हिस्सा निहित है । इस प्रकार उक्त आराजी पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही 1/4 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रार्थीण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से में आने वाली आराजी को पृथक रूप से अपने खाते में दर्ज करावे तथा लगान कायम करावे । अप्रार्थी कम 2 व 5 ने षडयंत्र पूर्वक प्रार्थीगण के पिता 96 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हैं, जिनको बहला–फुसला कर किसान कार्ड बनवाने का बहाना बनाकर प्रार्थीगण के हिस्से में से कृषि आराजी को हडपने की नियत से काल्या पुत्र लाल मीणा के खाते की आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 2.10 हैक्टर का दान पत्र अप्रार्थी कम 05 ने अपने नाम करवा लिया जो कानूनी रूप से अवैध है तथा अप्रार्थी कम 01 का वर्णित आराजी में कब्जा काश्त नहीं होने के अभाव में दानपत्र नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण का सम्पूर्ण आराजी में हिस्सा निहित होने के कारण प्रार्थीगण के पिता काल्या पुत्र लाला मीणा द्वारा किसी एक खसरा नम्बर की कृषि भूमि को दान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी अप्रार्थी कम 2 व 5 ने मिलीभगत कर फर्जी तरीके से दानपत्र निष्पादित करवा लिया । अप्रार्थी कम 05 के द्वारा फर्जी तरीके से करवाये गये दानपत्र के जरिये खसरा नम्बर 116 रकबा 2.10 हैक्टर से अप्रार्थी कम 05 का नाम खाते से विलोपित करवाया जाना तथा वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाया जाना आवश्यक है । पक्षकारान मीणा जाति के सदस्य हैं मीणा जाति के व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी पैतृक होने से प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी में हक–हिस्सा निहित होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है। यदि अप्रार्थी कम 1, 2 व 5 द्वारा षडयंत्र पूर्वक मिलीभगत करके अप्रार्थी कम 01 जो प्रार्थीगण के पिता के खाते वाली वर्णित आराजी को अन्यत्र बेचान, दान, वसीयत रहन आदि कर दिया जो अपूरणीय क्षति होगी ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी कम 1, 2 व 5 सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को हरन, बेचान, दान, वसीयत आदि नहीं करें उक्त वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी कम 1, 2, 3, 5 व 6 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.09.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 1, 2, 3, 5 व 6 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट कम 01 के खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पैतृक होने से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 का 1/4 – 1/4 हिस्सा ही हो सकता है । इस प्रकार कुल आराजी में से रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 का रकबा 7.535 हैक्टर ही होता है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 अपने हिस्से 1/2 तक ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय से सम्पूर्ण आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट कम 01 वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं जिनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । उक्त भूमि पैतृक होने से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 का 1/4 – 1/4 हिस्सा ही हो सकता है । इस प्रकार कुल आराजी में से रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 का रकबा 7.535 हैक्टर ही होता है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 अपने हिस्से 1/2 तक ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण भूमि पर रहन, बेचान, दान आदि नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 का 1/4– 1/4 हिस्सा अर्थात् दोनों का कुल भूमि में 1/2 हिस्सा ही प्राप्त कर सकते हैं और उसी भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने कर सकते हैं । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अपीलान्ट कम 01 ने वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 116 रकबा 2.10 हैक्टर भूमि अपीलान्ट कम 04 के पक्ष में रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 16.07.2020 के द्वारा दान की जा चुकी है । अपीलान्ट कम 01 पारिवारिक ऋण की अदायगी हेतु पवित्र दायित्व के सिद्धान्त के अनुसार दायित्वाधीन है । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है इसलिए वह अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2021 निरसत फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2021 (1) (रेवे0) पेज 472, आरआरटी 2013 (1) पेज 515, डीएनजे 2010 (3) पेज 1274, आरएलडब्ल्यू 2015 (1) पेज 450, डीएनजे 2023 (1) पेज 88, 2020 आरआरटी (2) पेज 998 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर पारिवारिक बंटवारा हो गया है परन्तु विधिवत विभाजन अभी नहीं हुआ है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है । जब तक वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक वादग्रस्त आराजी के किसी विशिष्ट खसरा नम्बर को बेचान, दान, वसीयत करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किसी के विरूद्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि

सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरसी 2003 पेज 452, डीएनजे 2016 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 258, डीएनजे 2009 पेज 279, आरआरटी 2022 (II) पेज 1047, आरआरटी 2022 (II) पेज 1175, डीएनजे 1997 (सुप्रीम कोर्ट) पेज 6, आरआरडी 2008 पेज 762, आरआरडी 2001 पेज 492, आरआरडी 2001 पेज 251, आरएलडब्ल्यू 2002 (सप्ली0) पेज 19 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या नया 12 में ग्राम प्रेमपुरा की आराजी कुल 10 किता की रकबा 15.07 हैक्टर भूमि काल्या पुत्र लाल कौम मीणा के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 11 में ग्राम प्रेमपुरा की आराजी कुल 09 किता की रकबा 12.97 हैक्टर भूमि काल्या पुत्र लाल के खातेदारी में दर्ज है जिस पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 810 दिनांक 21.08.2020 एवं 818 दिनांक 05.10.2020 का नोट अंकित है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 नया खाता संख्या 244 में ग्राम प्रेमपुरा की आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 2.10 हैक्टर भूमि चेतन प्रकाश पुत्र रामेश्वर के नाम खातेदारी में दर्ज है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी अपीलान्ट कम 01 के खातेदारी में दर्ज है जिसमें से उसने कुछ भूमि दान कर दी है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट काल्या के पुत्र हैं जिन्होंने वादग्रस्त आराजी में अपना जन्म से हित–निहित होना बताते हुए वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4 – 1/4 अर्थात कुल 1/2 हिस्सा होना कथन करते हुए वादग्रस्त आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा था । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सम्पूर्ण आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । वादग्रस्त आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन होना है । अपीलान्ट कम 01 द्वारा विवादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि का अपीलान्ट कम 04 चेतन प्रकाश पुत्र रामेश्वर के पक्ष में दान एवं विक्रय किया गया । पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्णय मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति किसके पक्ष में है । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है । हिन्दू पैतृक सम्पत्ति में जन्म के साथ ही सम्पत्ति में पुत्र के हक अधिकार निहित होते हैं । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पिता पैतृक सम्पत्ति में से खसरा नम्बर 116 रकबा 2.10 हैक्टर का दान पत्र अप्रार्थी कम 05 के पक्ष में कर चुके हैं । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के हिस्से की सम्पत्ति को मूल वाद के निस्तारण तक संरक्षित किया जाना उचित होगा । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि यदि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 का तर्क सही भी माना जावे तो उनका विवादित भूमि में 1/4, 1/4 अर्थात् 1/2 हिस्सा ही बनता है । ऐसी स्थिति में 1/2 हिस्सा भूमि के सम्बन्ध में ही विवाद मानते हुए कोई आदेश पारित किया जा सकता है । बहस में प्रस्तुत कथन अनुसार वाद की विषय–वस्तु अनुसार दादा काल्या ने अपने पौत्र चेतन प्रकाश (रामेश्वर के पुत्र) को कुछ भूमि

दान व विक्रय कर दी है । यहाँ यह पुनः रेखांकित करना उचित होगा कि दादा ने अपने पुत्र नहीं, अपितु उस पुत्र के पुत्र (पौत्र) के पक्ष में खसरा नम्बर 116 रकबा 2.10 हैक्टर का दान पत्र अप्रार्थी कम 05 के पक्ष में किया गया है । दान व विक्रय की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस 4.82 हैक्टर बताया है । चूँकि भूमि अभी परिवार की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की यथास्थिति के जो आदेश पारित किये गये हैं वे उचित हैं । भूमि के पैतृक सम्पत्ति होने पर अपीलान्ट ने भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है । पिता व पुत्रों का हक, अधिकार विवादित भूमि में मूल वाद में तय किया जाना है । ऐसी स्थिति में विवादित भूमि को संरक्षित किया जाना उचित होगा । अतः संयुक्त खातेदारी की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है । अतः प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पक्ष में साबित होता है । सुविधा के संतुलन के बिन्दु पर हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि पैतृक भूमि में पुत्र पिता के जीवनकाल में भूमि का बंटवारा नहीं करवा सकते । पुत्र अपने पिता के जीवनकाल में पैतृक भूमि का बंटवारा करवा सकते हैं । ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में प्रतीत होता है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट कम 01 के खातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 उनके पुत्र हैं । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में उनका हक–हिस्सा 1/4 – 1/4 अर्थात् कुल आराजी में 1/2 हिस्सा निहित होना प्रतीत होता है, जिसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा । इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पक्ष में बनता है परन्तु केवल विवादित भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर दान, रहन, बेचान नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण अपीलान्ट को पाबन्द किया है जो त्रुटिपूर्ण है । हम प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के 1/2 हिस्से को संरक्षित रखा जाना उचित समझते हैं । यदि दौराने वाद विवादित भूमि में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के संभावित हिस्से की भूमि को विक्रय या खुर्द–बुर्द किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 को होगी । पैतृक भूमि होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पक्ष में है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में आंशिक संशोधन किया जाना न्यायहित में उचित होगा ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2021 निरस्त किया जाता है । वाद में निर्णय होने तक अप्रार्थीगण अपीलान्ट को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की कुल किता 10 की रकबा 15.07 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें । संयुक्त खातेदारी की भूमि से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण अपीलान्ट करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा